

**अनुदान संख्या 7 - उर्वरक विभाग**  
**GRANT No. 7-DEPARTMENT OF FERTILISERS**

		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving-
(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)				
<b>राजस्व:</b>	<b>Revenue:</b>			
स्वीकृत-	Voted-			
मूल	Original	34335,51,00		
पूरक	Supplementary	66521,62,00		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year	100857,13,00	99511,95,26	-1345,17,74
<b>पूंजीगत:</b>	<b>Capital:</b>			
स्वीकृत-	Voted-	46,04,00	45,95,00	-9,00
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year			9,00

**टीका और टिप्पणियां****Notes and comments**

1. अनुदान के राजस्व भाग में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुई/हुआ:-

1. In the revenue section of the grant, savings/excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)  
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head			
मुख्य शीर्ष "3451"	Major Head "3451"			
सचिवालय - आर्थिक सेवाएं	Secretariat - Economic Services			
मू.	O.	1217.00		
पू.	S.	226.00	1267.93	1233.13
पु.	R.	-175.07		-34.80
मुख्य शीर्ष "2401"	Major Head "2401"			
फसल कृषि कर्म	Crop Husbandry			
मू.	O.	2126754.00		
पू.	S.	5706669.00	7852617.00	7852596.85
पु.	R.	19194.00		-20.15

		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving-
		(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)		
शीर्ष	Head			
मुख्य शीर्ष "2852"	Major Head "2852"			
उद्योग	Industries			
मू.	O.	1305578.00		
पू.	S.	945267.00	2097369.85	2097365.28
पु.	R.	-153475.15		-4.57

(I) 15002.00 लाख रु. का प्रावधान तीन शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; जिसमें से 15000.00 लाख रु. अकेले मुख्य शीर्ष "2852" - "उर्वरक उद्योग - अनुसंधान और विकास - 4 विद्यमान एफओ/एलएसएचएस संयंत्रों को एनजी/एलएनजी में परिवर्तित किए जाने के लिए पूंजीगत आर्थिक सहायता" के अंतर्गत योजना आयोग से प्रस्ताव को अनुमोदन प्रदान न किए जाने के कारण लेखाबद्ध किए गए।

(II) मुख्य शीर्ष "2852" - "उर्वरक उद्योग - उर्वरक आर्थिक सहायता - उर्वरक भाड़ा आर्थिक सहायता स्कीम के अधीन अदायगियां" के अंतर्गत 200000.00 लाख रु. के मूल प्रावधान को दिसंबर, 2008 में 55000.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 255000.00 लाख रु. कर दिया गया। तथापि, 120000.00 लाख रु. की बचत (पूरक अनुदान सहित) भाड़ा दरों में कमी आने की वजह से आर्थिक सहायता की कम राशि जारी किए जाने के कारण हुई।

(III) अक्टूबर, 2008 और दिसंबर, 2008 में निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत प्राप्त किया पूरक अनुदान प्रत्येक के सामने दर्शाई गई सीमा तक अप्रयुक्त रहा:-

(का) मुख्य शीर्ष "3451" - "सचिवालय - उर्वरक विभाग" - 1217.00 लाख रु. के मूल प्रावधान को 226.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 1443.00 लाख रु. कर दिया गया, तथापि, जो रिक्त पदों के न भरे जाने और किराए पर आवास लिए जाने के प्रस्ताव के मूर्त रूप न लेने के कारण 209.87 लाख रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(I) Provision of Rs.15002.00 lakhs remained wholly unutilised under three heads; of these Rs.15000.00 lakhs alone accounted for under Major Head "2852" - "Fertilizer Industries - Research and Development - Capital Subsidy for conversion of 4 existing FO/LSHS Plants to NG/LNG" - due to non-receipt of approval of proposal from Planning Commission.

(II) Under Major Head "2852" - "Fertilizer Industries - Fertilizer Subsidy - Payments under Fertilizer Freight Subsidy Scheme" - the original provision of Rs.200000.00 lakhs was augmented to Rs.255000.00 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.55000.00 lakhs in December, 2008. However, there was a saving of Rs.120000.00 lakhs (including supplementary grant) - due to release of lesser amount of subsidy owing to downward trend in freight rates.

(III) Supplementary grant obtained in October, 2008 and December, 2008 under the following major heads remained unutilised to the extent as shown against each:-

(A) Major Head "3451" - "Secretariat - Department of Fertilizers" - the original provision of Rs.1217.00 lakhs was augmented to Rs.1443.00 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.226.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of Rs.209.87 lakhs- due to non-filling up of vacant posts and non-materialization of proposal to hire accommodation.

(खा) मुख्य शीर्ष "2401" -

(क) "खाद और उर्वरक - देशी विनियंत्रित उर्वरकों की रियायती बिक्री के लिए अदायगी" - 644710.00 लाख रु. के मूल प्रावधान को 2130000.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 2774710.00 लाख रु. कर दिया गया, तथापि, जो उत्पादन बाध्यताओं की वजह से कम आर्थिक सहायता दावे प्राप्त होने के कारण 304000.00 लाख रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(ख) "उर्वरकों का आयात" - 1042044.00 लाख रु. के मूल प्रावधान को 644300.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 1686344.00 लाख रु. कर दिया गया, तथापि, जो यूरिया का कम आयात किए जाने और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में यूरिया की कीमतों में शिथिलता आने के कारण 389226.15 लाख रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(गा) मुख्य शीर्ष "2852" - "उर्वरक उद्योग" -

(क) "उर्वरक आर्थिक सहायता - उर्वरक प्रतिधारण कीमत स्कीम के अधीन अदायगियां" - 1090037.00 लाख रु. के मूल प्रावधान को 590237.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 1680274.00 लाख रु. कर दिया गया, तथापि, जो भाड़ा दरों में कमी आने की वजह से कम आर्थिक सहायता जारी किए जाने के कारण 18400.00 लाख रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(ख) "अन्य व्यय - उर्वरक उद्योग समन्वय समिति" - 140.00 लाख रु. के मूल प्रावधान को 30.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 170.00 लाख रु. कर दिया गया, तथापि, जो अपर महान्यायवादी के त्यागपत्र की वजह से उर्वरक इकाईयों के कम निरीक्षण

(B) Major Head "2401" -

(a) "Manures and Fertilizers – Payment for concessional sale of Indigenous decontrolled fertilizers" – the original provision of Rs.644710.00 lakhs was augmented to Rs.2774710.00 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.2130000.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of Rs.304000.00 lakhs – due to receipt of less subsidy claims owing to production constraints.

(b) "Import of Fertilizers" – the original provision of Rs.1042044.00 lakhs was augmented to Rs.1686344.00 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.644300.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of Rs.389226.15 lakhs – due to less import of urea and softening of price of urea in the international market.

(C) Major Head "2852" – "Fertilizer Industries" –

(a) "Fertiliser Subsidy – Payment Under Fertilizers Retention Price Scheme" – the original provision of Rs.1090037.00 lakhs was augmented to Rs.1680274.00 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.590237.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of Rs.18400.00 lakhs – due to release of less subsidy owing to downward trend in concession rates.

(b) "Other Expenditure – Fertilizer Industry Co-ordination Committee" – the original provision of Rs.140.00 lakhs was augmented to Rs.170.00 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.30.00 lakhs which, however, remained unutilised to the

कार्यक्रम किए जाने के कारण 17.33 लाख रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

extent of Rs.17.33 lakhs – due to conducting of less inspection programme of fertilizer units owing to resignation of Additional Solicitor General.

(IV) एक शीर्ष के अंतर्गत 62.09 लाख रु. की बचत हुई जो स्वीकृत प्रावधान का 31 प्रतिशत थी।

(IV) Under one head saving of Rs.62.09 lakhs occurred constituting 31 percent of the sanctioned provision.

2. उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (712400.00 लाख रु.) प्रयुक्त हो गईं जैसा कि मुख्य शीर्ष “2401” - “खाद और उर्वरक - आयातित विनियंत्रित उर्वरकों की रियायती बिक्री के लिए अदायगी” के अंतर्गत दिसंबर, 2008 में 920369.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था।

2. The above savings were partly (Rs.712400.00 lakhs) utilised for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining supplementary grant of Rs.920369.00 lakhs in December, 2008 under Major Head “2401” – “Manures and Fertilizers – Payment for concessional sale of Imported decontrolled fertilizers”.

3. अनुदान के पूंजीगत भाग में, बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

3. In the capital section of the grant, savings occurred under the following major heads:-

		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving-
		(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)		
शीर्ष	Head			
मुख्य शीर्ष “6552” उत्तर पूर्वी क्षेत्रों के लिए कर्ज	Major Head “6552” Loans for North Eastern Areas			
मू.	O.	1999.00	..	..
पु.	R.	-1999.00	..	..
मुख्य शीर्ष “6855” उर्वरक उद्योगों के लिए कर्ज	Major Head “6855” Loans for Fertilizer Industries			
मू.	O.	2605.00	4595.00	..
पु.	R.	1990.00	4595.00	..

(I) 2005.00 लाख रु. का प्रावधान चार शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; जिसमें से 1999.00 लाख रु. अकेले मुख्य शीर्ष "6552" - "सार्वजनिक क्षेत्र के और अन्य उपक्रमों को कर्ज - ब्रह्मपुत्र घाटी उर्वरक निगम लिमिटेड" के अंतर्गत पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्ष को किए जाने के कारण लेखाबद्ध किए गए।

4. उपर्युक्त बचतें मुख्य शीर्ष "6855" - "सार्वजनिक क्षेत्र के और अन्य उपक्रमों को कर्ज - ब्रह्मपुत्र घाटी उर्वरक निगम लिमिटेड" के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित हो गई - 1996.00 लाख रु. का अधिक व्यय (2.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग मुख्य शीर्ष "6552" से कार्यात्मक शीर्ष को किए जाने के कारण हुआ।

(I) Provision of Rs.2005.00 lakhs remained wholly unutilised under four heads; of these Rs.1999.00 lakhs alone accounted for under Major Head "6552" - "Loans to Public Sector and Other Undertakings - Brahmaputra Valley Fertilizer Corporation Ltd." - due to re-appropriation of funds to functional head for utilisation on schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

4. The above savings were partly offset by excess under Major Head "6855" - "Loans to Public Sector and other Undertakings - Brahmaputra Valley Fertilizer Corporation Ltd." - excess of Rs.1996.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.2.00 lakhs) was due to re-appropriation of funds from Major Head "6552" to functional head for utilisation on schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.